/

उत्तराखण्ड शासन

न्याय अनुभाग–1

संख्या– —— /XXXVI(1)/2018-17 एक(5)/2005

देहरादूनः दिनांकः 27 नवम्बर, 2018

अधिसूचना

राज्यपाल, विधिक सेवा प्राधिकरण अधिनियम, 1987 (अधिनियम संख्या 39, वर्ष 1987) की धारा 28 सपठित साधारण खण्ड अधिनियम, 1897 (केन्द्रीय अधिनियम संख्या 10 वर्ष 1897) की धारा 21 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए कार्यवाहक मुख्य न्यायमूर्ति, उत्तराखण्ड उच्च न्यायालय, नैनीताल के परामर्श से उत्तराखण्ड राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण नियमावली, 2006 में अग्रेत्तर संशोधन करने की दृष्टि से निम्नलिखित नियमावली बनाते हैः–

उत्तराखण्ड राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण (संशोधन) नियमावली, 2018

संक्षिप्त नाम और प्रारम्भ 1. (1) इस नियमावली का संक्षिप्त नाम उत्तराखण्ड राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण (संशोधन) नियमावली, 2018 है।

(2) यह तुरन्त प्रवृत्त होगी।

नियम 16 का संशोधन 2. उत्तराखण्ड राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण नियमावली, 2006 में नीचे स्तम्भ–1 में दिये गये विद्यमान नियम 16 के उपनियम (8) के स्थान पर स्तम्भ–2 में दिया गया उपनियम प्रतिस्थापित कर दिया जायेगा, अर्थातः–

स्तम्भ–1		स्तम्भ–2	
विद्यमान उपनियम		एतदद्वारा प्रतिस्थापित उपनियम	
(8)	ऐसे सभी व्यक्ति, जिनकी समस्त स्त्रातों से वार्षिक आय रू0 1,00,000/– से कम हो।	(8)	ऐसे सभी व्यक्ति, जिनकी समस्त स्त्रातों से वार्षिक आय रू0 3,00,000/– से कम हो।

/

(आलोक कुमार वर्मा)
प्रमुख सचिव

संख्या– —— (1)/XXXVI(1)/ 2018-17 एक(5)/2005 तददिनांकित।

प्रतिलिपि : निदेशक, मुद्रण एवं लेखन सामग्री उत्तराखण्ड, रूड़की, जिला हरिद्वार को इस अभ्युक्ति के साथ प्रेषित कि वे उपर्युक्त अधिसूचना को उत्तराखण्ड सरकार द्वारा प्रसारित असाधारण गजट के विधायी परिशिष्ट भाग–4 खण्ड–ख, परिनियत आदेश में प्रकाशित करने एवं अधिसूचना की 20 मुद्रित प्रतियां शासन को भेजने का कष्ट करें।

आज्ञा से,

/

(सयन सिंह)
अपर सचिव

संख्या– 317 (2)/XXXVI(1)/2018-17 एक(5)/2005 तददिनांकित।

प्रतिलिपि : निम्न लिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।

1. महानिबन्धक, मा0 उत्तराखण्ड उच्च न्यायालय, नैनीताल।

क्रमशः............2

2. मुख्य सचिव, उत्तराखण्ड शासन।
3. अपर मुख्य सचिव, मा0 मुख्यमंत्री, उत्तराखण्ड शासन।
4. सदस्य सचिव, उत्तराखण्ड राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण, नैनीताल।
5. समस्त अध्यक्ष, जिला विधिक सेवा प्राधिकरण/जिला न्यायाधीश, उत्तराखण्ड।
6. कार्मिक अनुभाग–2/वित्त अनुभाग–5, उत्तराखण्ड शासन।
7. गार्ड फाईल/एन0आई0सी0।

आज्ञा से,

(सयन सिंह)
अपर सचिव